

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार
समक्ष अध्यक्ष, नवीन वर्मा का पीठ

RERA/CC/717/2019

महना इफतेकार

.....वादी

वनाम

भुतेश कंस्ट्रक्सन प्रा० लि०

.....प्रतिवादी

प्रोजेक्ट-रहमत टावर

15.9.2022

उभय पक्ष उपस्थित हैं। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता परवीण कुमार उपस्थित हैं और उन्होंने बताया कि वे वादी द्वारा बुक कराये गये फ्लैट देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 10 प्रतिशत काम शेष है जिसे पूरा कर दो माह के अन्दर वादी को हस्तगत करने का प्रयास किया जायेगा।

वादी का कहना है कि यह फ्लैट उन्हें 8 वर्ष में मिलना था लेकिन उनके द्वारा दिये गये ऑन लाईन आवेदनपत्र में अंकित किया गया है कि यह फ्लैट उन्हें बुकिंग के तीन वर्ष तथा अतिरिक्त समय 6 माह के अन्दर प्राप्त होना था। मनोबंध पत्र (agreement to sale) से स्पष्ट होता है कि मनोबंध पत्र दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2013 में हस्ताक्षरित हुआ था लेकिन उसमें फ्लैट उपलब्ध कराने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि वादी के पास कोई और साक्ष्य है तो उपलब्ध कराया जाय ताकि उसके आधार पर सूद की राशि की गणना की जा सके।

प्रतिवादी ने बताया कि चूंकि वे दो माह में फ्लैट देने के लिए तैयार हैं अतः उनसे सूद की राशि नहीं ली जाय।

प्रतिवादी की ओर से दिये गये तथ्य के आधार पर उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 15-12-2022 तक वादी को फ्लैट उपलब्ध करा दें। साथ ही मनोबंध पत्र (agreement to sale) के अनुसार जो अन्य सुविधाएं देनी है वह लागू रहेगा। विलम्ब की स्थिति में रु.5,000/- (पाँच हजार रुपये) की दर से प्रति विलम्ब दिवस के लिए दंड (penalty) का भुगतान करना होगा। वादी द्वारा यदि यह प्रमाण उपलब्ध कराया जाता है कि उन्हें फ्लैट का दखल

कब्जा कब मिलना था तो वे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर आदेश पारित किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित दिशा निदेश/सुझाव के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

ह0/-
(नवीन वर्मा)
अध्यक्ष